अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

5/225 रक्षा मिश्रा v/s अतिमा वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री दीपक पारीक श्रीकिशनलाल गुर्जर 03 एवं श्रीयाराम चौधरी 07	

रक्षा मिश्रा बनाम अतिमा वगैरह(2025/402)

29.08.2025

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07 ने जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिस पर वादी व प्रतिवादी मनबंट बंटवारे अनुसार काबिज है। फिर भी प्रतिवादी ने विधिक प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए आदेश पारित करवाया लिया एवं जिसकी अविधिक रूप से पालना करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आड में अप्रार्थीगण विवादित के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने पर सख्त आमादा है। जिसमें यदि वह सफल हो गया तो अपनी पुश्तैनी व कब्जे काश्त की आराजीयात से महरूम हो जायेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 की क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव को ताफैसला स्थगित फरमाते हुए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 07 ने दौराने जवाब निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदार की आराजीयात तो है और किसी एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार काश्तकार को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार का अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया है क्योंकि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है और खाता संख्या 359 में नामान्तकरण विरासत का खुलना भी शेष है तथा विवादित आराजीयात का नियमानुसार राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर तकासमा किया जाता है तो रेस्पोडेन्टस को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को टी0आई0 से पाबंद नहीं किया जा सकता है 2006 पार्ट 01 आर0आर0टी0 पेज 192।

अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अपीलांट की अपील को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2025 को प्रार्थना को दर्ज कर अपीलांट/प्रार्थी को सुना जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसे दिनांक 18.08.2025 उभयपक्ष को सुनकर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04, व 06 एवं 07 की हद तक निरस्त किया गया। एवं पत्रावली को में शेष अप्रार्थी संख्या 05, 08 लगायत 12 की तलबी में नियत किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार...

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

रसा मिश्रा v/s अनिता वगैरह

402/2025/225

लगातार.... 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

किन्तु माननीय उच्चतर न्यायालयो ने भी अपने अनेको न्यायिक दृष्टांतो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिए। पक्षकारान के बीच विवादित आराजीयात के संदर्भ में सद्‌भाविक वाद–विवाद मौजूद है। अतः प्रकरण में वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्‌देश्य से एवं वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे शेष अप्रार्थीगण की तामिली शीघ्रताशीघ्र रजिस्टर्ड एडी नोटिस से पूर्ण करवाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें तब तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर
अपील टी0ए0 संख्या 402/2025 जिला जयपुर

2025/402

रक्षा मिश्रा पत्नि रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।

-- अपीलांट/वादी

बनाम्

1.अंतिमा पुत्री चण्डीप्रसाद
2.चन्द्रकला देवी पत्नी चण्डीप्रसाद
3.महेशचन्द पुत्र गोपालप्रसाद
4.संगीता पुत्री चण्डीप्रसाद
5.सत्यनारायण पुत्र गोपाल
6.स्नेहलता पुत्री चण्डीप्रसाद
7.सरिता पुत्री चण्डीप्रसाद
8.नवीन कुमार पुत्र रमेशचन्द
9.नितिन कुमार पुत्र रमेशचन्द
10.निशान्त पुत्र रमेशचन्द
समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर
11.श्रीमान उप पंजीयक महोदय तहसील दूदू जिला जयपुर।
12.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, दूदू जिला जयपुर।

----------रेस्पो0/प्रतिवादी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू दिनांक 18.8.2025 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 94/2025 बउनवानी रक्षा मिश्रा बनाम अंतिमा

श्रीमान्जी,

अपीलान्ट अपील के सक्षिप्त तथ्यो सहित निम्न निवेदन करता हैः-

Scanned with CamScanner